

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>शैतानसिंह बनाम लो.सू.अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ)</p> <p>सू.अ.अ.अपील सं0 22 / 2023 ()</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>05.02.24</p>	<p>अपीलार्थी शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह, पता प्लॉट नं. 15, गोपालवाड़ी होटल गढगोविन्द के पास, चौपासनी जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.08.2023. में उसके द्वारा (1) दिनांक 10.04.23 को कार्यालय जिला कलक्टर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सतर्कता/जांच/सामा./2023/624-625 दिनांक 14.04.2023 पर की गई सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने में टालमटोल कर गलत, आधी अधुरी व भ्रामक सूचना उपलब्ध करवाई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) से जरिये पत्रांक 773 दिनांक 04.11.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2023/611 दिनांक 08.09.23 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी।</p> <p>अपीलार्थी ने अपील में जिला कलक्टर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सतर्कता/जांच/सामा./2023/624-625 दिनांक 14.04.2023 पर की गई सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाही गई, जबकि लोक सूचना अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के संलग्न पत्रांक 611 दिनांक 08.09.2023 की प्रति में अन्य रिपोर्ट के सन्दर्भ में है अतः लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से असहमत है, परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी शेरगढ) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.23 (संलग्न पोस्टल ऑर्डर नं. 61F828774) में चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारण से अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	